

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मु०नं० 31/2017

आर.सी.एम.एस.नं. 2017/000137 तारीख रजू:- 21.12.2017

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली

:- सायल

बनाम

रूपसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव उम्र 50 साल निवासी गुनसार थाना सदर हिण्डौन जिला करौली :- गैरसायल

इस्तगासा इन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक 20.01.2020

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल रूपसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी गुनसार थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना हिण्डौन जिला करौली में निम्न केस दर्ज हुये हैं।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु० चार्ज०नं०	न्यायालय निर्णय व
01	862/06 दि० 17.11.2006	13 आरपीजीओ एक्ट	487 दिनांक 21.11.2006	—
02	156/08 दि० 20. 12.2008	13 आरपीजीओ एक्ट	105 दिनांक 22.12.2008	जुर्माना 100रूपये
03	132/09 दि० 28.05.2009	13 आरपीजीओ एक्ट	72 दिनांक 31.05.2009	जुर्माना 100रूपये
04	71/12 दि० 28.02.2012	13 आरपीजीओ एक्ट	32 दिनांक 29.02.2012	जुर्माना 100रूपये
05	137/13 दि० 04.04.2013	13 आरपीजीओ एक्ट	69 दिनांक 27.04.2013	—
06	236/14 दि० 09.06.2014	13 आरपीजीओ एक्ट	276 दिनांक 29.10.2014	जुर्माना 100रूपये
07	471/14 दि० 15.10.2014	13 आरपीजीओ एक्ट	276दिनांक 29.10.2014	जुर्माना 100रूपये
08	84/15 दि० 16.03.2015	13 आरपीजीओ एक्ट	42 दिनांक 30.05.2015	जुर्माना 100रूपये
09	117/16 दि० 07.03.2016	13 आरपीजीओ एक्ट	55 दिनांक 05.03.2016	जुर्माना 100रूपये
10	194/16 दि० 05.05.2016	13 आरपीजीओ एक्ट	108 दिनांक 19.05.2016	जुर्माना 100रूपये
11	260/16 दि० 13.06.2016	13 आरपीजीओ एक्ट	143 दिनांक 23.06.2016	जुर्माना 100रूपये

उक्त पंजीवृत आपराधीक प्रकरण में वाद जाँच चार्ज शीट कित्ता कर संबन्धित न्यायालय में चालान पेश किया गया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुये जुर्मान के ठण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ,सट्टा का आदतन अपराधी है। जिसमें आम जनता में कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्य सैली पर कोई असर नहीं हो रहा है। बल्कि हॉसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नहीं रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी को खुले रूप से घुमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप में सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिए कतई हित में नहीं है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित में है।

अन्त मे स्थगसा पेश कर गैरसायल अपराधी रूपसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी गुनसार थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगसा को साबित करने के लिए एफआईआर की प्रति नतीजा चार्ज शीट की प्रति नतीजा न्यायालय की प्रति एवं गवाह के नाम पेश की है।

स्थगसा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम -04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल ने जवाब एवं एक प्रार्थनापत्र सहमति का पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और उसके छोटे-छोटे बच्चे है। प्रार्थी को दोष मुक्त कर माफ फरमाया जावे यदि प्रार्थी को दोषी माना जावे तो अन्य जिले मे नही भेजकर अन्य थाने मे उपस्थिति देने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

सायल की ओर से इस्तगसा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति ,नतीजा चार्ज शीट की प्रति,पेश की गई है। जिसमे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य आदि पेश नही की गई है।

गैरसायलान को असलान एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगसा मे गैरसायल के खिलाफ ग्यारह मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्ज शीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिकदण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगसा मे कथा अनुसार गैरसायल जुआ सटटा का आदतन अपराधी जिससे आम जनता को कुप्रभाव पडता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित के बाद भी अपनी कार्य शैली पर कोई असर नही हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने जबाव मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है। किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमो के तहत अपराधिक कृत कारित करने मे सलिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है। जो समाज के लिए अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल /प्रार्थी का इस्तगसा स्वीकार किया जाकर रूपसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी गुनसार थाना सदर हिण्डौन जिला करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है। तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना अधिकारी सदर हिण्डौन को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 10.02.2020 से 24.02.2020 तक की समयावधि के लिये थाना श्रीमहावीरजी पर रहने हेतु सूपूर्द करें। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थाना अधिकारी श्रीमहावीरजी को देगा इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा किसी अपराधिक गतिविधि में भाग नही लेगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना सदर हिण्डौन के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना अधिकारी सदर हिण्डौन एवं थाना श्रीमहावीरजी को भेजे तथा एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुर्दशनसिह तोमर)

अति० जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
करौली

